भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 453
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

†453. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीनीकृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी पूर्वोत्तर के राज्यों ने इस योजना के माध्यम से स्वयं के स्रोत से होने वाले राजस्व (ओएसआर), ई-सक्षमता या पंचायत बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रमुख दर्ज उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले या अभिनव तरीकों को अपनाने वाले राज्यों की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा क्या अनुवर्ती उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है जिसका उद्देशय निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितकरकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना तथा नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमता का विकास करना है, ताकि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों के उपयोग सहित योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठकों/वीडियो-कॉन्फ्रेंस, पूर्व-सीईसी बैठक आदि के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देते समय आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति भी योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और उसके निधियों के उपयोग की समीक्षा करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित दस्तावेज जैसे तिमाही , वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, उपयगिता प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने और धनराशि जारी करने को विनियमित करने के लिए एमओएफ के निर्देशों का पालन करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरजीएसए के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित वास्तविक समय पर प्रशिक्षण की निगरानी करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा, आरजीएसए के तहत जारी और व्यय की निगरानी के लिए एक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भी मौजूद है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के ओएसआर से संबंधित डेटा नहीं रखता है, क्योंकि पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण , भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इसके अलावा, राज्य और पंचायत अक्सर पंचायतों से संबंधित ओएसआर डेटा साझा नहीं करते हैं। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय ने 2022 में पंचायतों के ओएसआर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए "ग्रामीण स्थानीय निकायों के निजी स्रोत राजस्व पर विशेषज्ञ समिति" का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 से 2021-22 के दौरान 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगभग 25595 करोड़ रुपये का ओएसआर एकत्र किया गया हैं और उसी अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति ओएसआर लगभग 59 रुपये सालाना था। जिसका विवरण **अनुलग्नक - I** के रूप में संलग्न हैं।

इसके अलावा, पंचायतों को ई-सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिसमें जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, कार्य दक्षता और शासन में काफी सुधार हुआ है। ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन, पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे धनराशि का निर्बाध प्रवाह होता है और देरी कम होती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ ई-ग्रामस्वराज को एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से

जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की सुविधा प्रदान करता है। पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन भी बनाया गया है।

चूंकि 'पंचायत' राज्य का विषय है, इसलिए जीपी भवन, कंप्यूटर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करता है और योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 13342 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और 63436 कंप्यूटर की खरीद अनुमोदित की गई है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों को स्वीकृत पंचायत भवनों के निर्माण तथा कंप्यूटर की खरीद से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य विषयों के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के सर्वश्रेष्ठ कार्य को मान्यता देकर प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें स्थानीय शासन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। क्रॉस-लर्निंग और जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए, पुरस्कार विजेता पंचायतों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन पहलों को कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक्सपोजर विजिट के माध्यम से व्यवस्थित रूप से प्रलेखित और प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन प्रथाओं को उजागर करने वाले संकलन और बुकलेट देश भर में पंचायती राज हितधारकों के साथ व्यापक रूप से प्रकाशित और साझा की जाती हैं। ये प्रयास सफल मॉडलों को दोहराने और पंचायती राज संस्थाओं के समग्र सुदृढ़ीकरण में योगदान करते हैं। वर्ष 2024 के लिए पुरस्कृत पंचायतों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक -III** में संलग्न है।

****

अनुलग्नक I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 453 जिसका उत्तर दिनांक 2/12/2025 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
पंचायतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ओएसआर (2017-18 से 2021-22)

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.12	1.6	2.5	2.84	3.02
2	आंध्र प्रदेश	688.74	739.77	685.08	876.95	969.09
3	असम	25.98	25.63	15.25	21.22	26.65
4	बिहार	0	0	0	0	37.89
5	छत्तीसगढ	166.51	144.8	159.69	132.57	141.5
6	गोवा	225.49	61.08	220.54	85.62	218.52
7	गुजरात	864.1	778.3	881.46	795.14	0
8	हरियाणा	50.58	108.56	83.73	71.99	60.06
9	हिमाचल प्रदेश	0.04	0.41	0.42	0.53	1.45
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	15.01	0	2.08
11	झारखंड	0.16	0.42	1.78	23.64	1.86
12	कर्नाटक	385.94	552.86	671.37	715.41	812.21
13	केरल	868.62	802.84	792.05	769.94	781.28
14	लद्दाख	0.28	0.07	0.09	0.04	0.05
15	लक्षद्वीप	0.04	0.04	0.04	0.01	0.03
16	मध्य प्रदेश	0	0	0	105.22	63.93
17	मणिपुर	0.61	1.06	0.18	0.2	0.41
18	मिजोरम	0.04	0.04	0.06	0.09	0.04
19	नगालैंड	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	38.82	44.26	42.13	43.14	0
21	पुद्दुचेरी	29.46	35.28	45.26	41.08	45.93
22	पंजाब	126.45	172.28	170.93	164.17	157.98
23	राजस्थान	40.98	40.9	49.48	66.35	56.73
24	सिक्किम	1.58	1.78	2.87	0	0
25	तमिलनाडु	731.93	795.24	433.49	209.3	411.55
26	तेलंगाना	397.54	425.66	321.02	278.25	292.98
27	त्रिपुरा	3.02	3.94	3.8	0	0
28	उत्तर प्रदेश	192.89	204.27	0	229.08	246.34
29	उत्तराखंड	14.17	15.41	14.4	13.26	16.21
30	पश्चिम बंगाल	522.63	502.88	487.23	198.43	464.66
		5378.74	5459.38	5099.84	4844.47	4812.46

स्रोत: ग्रामीण स्थानीय निकायों के ओएसआर पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

अनुलग्नक II

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 453 जिसका उत्तर दिनांक 2/12/2025 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

उत्तरी-पूर्वी राज्यों को स्वीकृत पंचायत भवनों के निर्माण तथा कंप्यूटर की खरीद से संबंधित विवरण

क्र. सं.	पूर्वोत्तर राज्य	ग्राम पंचायत भवन के निर्माण को मंजूरी	कंप्यूटरों की खरीद को मंजूरी
1	अरुणाचल प्रदेश	1339	1200
2	असम	610	2055
3	मणिपुर	43	141
4	मेघालय	36	1677
5	मिजोरम	368	591
6	नागालैंड	183	739
7	सिक्किम	27	235
8	त्रिपुरा	131	493
	कुल	**2737**	**7131**

<u>अनुलग्नक - III</u>

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 453 जिसका उत्तर दिनांक 2/12/2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

<u>वर्ष 2024 के लिए पुरस्कृत पंचायतों की सूची</u>

क्र स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	श्रेणी-वार पुरस्कार विजेता							**कुल योग**
		दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार			ग्राम ऊर्जा स्वराज्य विशेष पंचायत पुरस्कार	कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार	पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार	
		ग्राम पंचायतें	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें	ग्राम पंचायतें	ग्राम पंचायतें	संस्थाएं	
1	आंध्र प्रदेश	4	0	0	0	0	0	0	**4**
2	असम	1	1	0	0	0	0	0	**2**
3	बिहार	3	0	0	0	0	0	0	**3**
4	छत्तीसगढ	1	0	0	0	0	0	0	**1**
5	गुजरात	1	0	0	0	0	0	0	**1**
6	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	0	0	0	**3**
7	कर्नाटक	1	0	0	1	0	0	0	**2**
8	केरल	1	0	0	0	0	0	1	**2**
9	लद्दाख	2	0	0	0	0	0	0	**2**
10	महाराष्ट्र	1	1	1	0	1	1	1	**6**
11	ओडिशा	2	0	1	1	1	1	1	**7**
12	तमिलनाडु	2	0	0	0	0	0	0	**2**
13	तेलंगाना	1	0	0	0	0	0	0	**1**
14	त्रिपुरा	4	0	1	1	1	0	0	**7**
15	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	0	1	0	**2**
	कुल	27	3	3	3	3	3	3	**45**